

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

**निबंधित**

श्री जयशंकर मंडल,  
जिला प्रबंधक बी0एस0एफ0सी0, सीतामढ़ी  
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सीतामढ़ी)

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप सोनवर्षा प्रखंड (जिला-सीतामढ़ी) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि (रुपये में)
187.64161	257069

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 187.64161 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वसभाजन,  
प्रदीप कुमार,  
सचिव

क्र.	जिला	प्रखण्ड	प्र0वि0पदा0 का नाम	अवशेष खाद्यान्न	समतुल्य राशि
1	सीतामढ़ी	परिहार	श्री राजीव शंकर	980.95715	1343911.3
2	सीतामढ़ी	बथनाहा	श्री सुनील कुमार	329.01971	450757
3	सीतामढ़ी	बथनाहा	श्री मनोज कुमार	329.01971	450757
4	सीतामढ़ी	बथनाहा	श्री इब्रार अहमद	329.01971	450757
5	सीतामढ़ी	मेजरगंज	श्री कमलेश कुमार सिंह	198.53715	271995.9
6	सीतामढ़ी	मेजरगंज	श्री राजकुमार सिंह	198.53715	271995.9
7	सीतामढ़ी	मेजरगंज	श्री मनोज कुमार	198.53715	271995.9
8	सीतामढ़ी	मेजरगंज	श्री विपिन कुमार राय	198.53715	271995.9
9	सीतामढ़ी	रीगा	अशोक कुमार पाल	130.00219	178103
10	सीतामढ़ी	रून्नी सैदपुर	श्री शिव कुमार सहाय	124.33647	170340.96
11	सीतामढ़ी	वैरगनीया	श्री मनोज कुमार	61	83570
12	सीतामढ़ी	वैरगनीया	श्री इब्रार अहमद	61	83570
13	सीतामढ़ी	सोनवर्षा	श्री किशोर कु0 प्रसाद	187.64161	257069
14	सीतामढ़ी	सोनवर्षा	श्री जयशंकर मंडल	187.64161	257069

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, you are requested to ensure that 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

बिहार सरकार,  
ग्रामीण विकास विभाग

(Amita Sharma)  
Joint Secretary

नामांक 255 / ग्रा0वि0वटना, दिनांक-  
8/वि0वि040/04

3/1/06

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुमन्त्र तहिन  
सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

